न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 3/8

तारीख दायरा :–03.05.18

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आरटी)

श्रवण / / बनाम / / तहसीलदार रैणी

न्यायालय द्वारा :– –: **निर्णय** :– दिनांकः– 13.01.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 302/0.54, 303/0.19, 304/529 रकबा 0.30 किता 3 रकबा 1.03 हैक्टर ग्राम धौराला तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 392/234 मिन रकबा 4 बीघा वाके ग्राम धौराला तहसील रैणी जिला अलवर से बने है ताईद में मिलान क्षेत्रफल सं. 2046 संलग्न है। प्रार्थी के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 392/234 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम धोराला तहसील रैणी जिला अलवर प्रार्थी की आवंटित कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो प्रार्थी को दिनांक 15.09.1975 को राज्य सरकार आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गयी है। अतः प्रार्थी के खसरा नम्बर 302/0.54, 303/0.19, 304/529 रकबा 0.30 किता 3 रकबा 1.03 है. वाके ग्राम धौराला तहसील रैणी या बन्दोवस्त सं 2049 में कर्मचारियान गलत बन्दोवस्त खातेदारी से गैरखातेदारी कर दिया गया है जिसे पुनः गैरखातेदारी से खातेदारी कर दुरूस्ती करायी जावे।

तहसीलदार रैणी से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार रैणी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम धौराला में प्रार्थी श्रवण पुत्र मांगीलाल कौम बैरवा को सिवायचक भूमि आवंटन आदेश दिनांक 15.09.1975 से प्रार्थी को आ.ख.नं. 392/234 रकबा 4 बीघा भूमि आवंटन की गयी थी। जमाबन्दी सं. 2035 से 2038 के खाता संख्या 75 में प्रार्थी श्रवण पुत्र मांगेलाल कौम बैरवा सा.देह गैरखातेदार दर्ज कर रिकार्ड है व नामान्तकरण संख्या 65 के द्वारा दिनांक 11.11.83 को प्रार्थी को खातेदारी दी जा चुकी है। वर वक्त भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन ख.नं. 302/0.54, 303/0.19, 304/529 रकबा 0.30 किता 3 रकबा 1.03 है. बनाये गये हैं जो वर्तमान रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2075 वाके ग्राम धौराला के खाता संख्या 117 में उपरोक्त आवंटी के वारिसान के नाम ख.नं. 302/0.31, 303/0.10 , 304/529 रकबा 0.30 है. किता 3 रकबा 0.71 है. गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया तथा तहसीलदार रैणी की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार ग्राम धौराला में प्रार्थी श्रवण पुत्र मांगीलाल कौम बैरवा को सिवायचक भूमि आवंटन आदेश दिनांक 15.09.1975 से प्रार्थी को आ.ख.नं. 392/234 रकबा 4

उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

Scanned with CamScanner

बीघा भूमि आवंटन की गयी थी। नामान्तकरण संख्या 65 के द्वारा दिनांक 11.11.83 को प्रार्थी को खातेदारी दी जा चुकी है। वर वक्त भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन ख.नं. 302/0.54, 303/0.19, 304/529 रकबा 0.30 किता 3 रकबा 1.03 है. बनाये गये हैं जो वर्तमान रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2075 वाके ग्राम धौराला के खाता संख्या 117 में उपरोक्त आवंटी के वारिसान के नाम ख.नं. 302/0.31, 303/0.10 , 304/529 रकबा 0.30 है. किता 3 रकबा 0.71 है. दर्ज रिकार्ड है।

राजस्थान भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत एक बार खातेदारी दिये जाने के बाद पुनः खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। व तहसीलदार रिपोर्ट व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं की जांच के आधार पर इन्द्राज दुरूस्ती का होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा

आदेश दिये जाते हैं कि

जमाबन्दी सम्बत 2074-2075 में ग्राम धौराला तहसील रैणी के खसरा नम्बर 302 रकबा 0.31 है., 303 रकबा 0.10 है, 304/529 रकबा 0.30 है. कुल किता 3 रकबा 0.71 है. में प्रार्थी के वारिसान को हाल रिकार्ड गैरखातेदार से खातेदार अमल दरामद के आदेश तहसीलदार रैणी को दिये जाते हैं। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार रैणी को पालनार्थ भिजवायी जावे। खर्चा अपना अपना बहन करेंगे।

(स्नेहलता हारीत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो ।

(स्नेहलता हारीत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

Scanned with CamScanner